न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

मु.न. 212/2014

उनवान

1. मालीराम पुत्र रामनाथ जाति माली, निवासी गोविन्ददेव जी का रड़ा के पास ग्राम सामोद तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. खेताराम पुत्र रामनाथ
2. तेजपाल पुत्र खेताराम
3. हीरालाल पुत्र खेताराम
4. सुन्दरी देवी पत्नी खेताराम
5. सुमित्रा पत्नी तेजपाल
6. अर्चना पत्नी हीरालाल
   समस्त जाति माली, निवासी गोविन्ददेव जी का रड़ा के पास सामोद तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चौमूँ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 22.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सामोद में पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है प्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम सामोद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1218/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1219/2 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262/1 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262/7 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262/8 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262/9 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर सम्पूर्ण व हाल खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1262/4 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल किता 3 को विवादग्रस्त भूमि वर्णित कर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि कुल किता 6 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर सम्पूर्ण का प्रार्थी/वादी द्वारा खातेदार काश्तकार होना व कुल किता 3 का रकबा 0.03 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार होना वर्णित किया हैं तथा अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को तारबन्दी की हुई होना वर्णित कर अपने हिस्से की भूमि में बैर, ऑवला, सीताफल, सैनणा, नींबू आदि के फलदार वृक्ष लगे होना व सींव डोल पर पत्थरगढ़ी की हुई होना वर्णित कर प्रार्थी/वादी द्वारा सम्पूर्ण रूप से अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग किया जाना वर्णित कर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से द्वेष भावना रखने से आये दिन सींव डोल फोड़कर लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होना वर्णित कर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

मारपीट करना वर्णित किया हैं, इसी आशय से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 20.07.2014 को एकराय होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1218/2 की पूर्वी सीमा पर गढ़े पत्थरों को उखाड़ने पर आमादा होने व विरोध करने पर जमीन स्वंय अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 को बेचान करने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला दावा वादग्रस्त कृषि भूमि 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर सम्पूर्ण के प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग करने में एवं खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर के सीमा चिन्हो को नुकसान नही पहूँचाने व खुर्द–बुर्द नही करने आदि बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने की इस्तदुआ की हैं, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया हैं कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित सारणी संख्या 1 में जबरन प्रवेश करके किसी प्रकार की कोई सींव डोल नही फोड़ी हैं, न ही उक्त भूमि में प्रवेश करने का विचार ही रखते हैं तथा सारणी संख्या 2 में वर्णित भूमि रास्ते के रूप में काम आ रही हैं तथा दिनांक 08.12.2010 को तहसीलदार महोदय के समक्ष करवाये गये बंटवारे में बतौर साझा के रास्ते के लिये उक्त भूमि रखी गई हैं, प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित नही होता हैं, प्रार्थना पत्र हैरान, परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन कर बहस पर मनन किया गया, अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निर्णय हेतु तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक हैं।

प्रथम दृष्टता :– प्रकरण में प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं ओर अपनी तन्हा खातेदारी की एवं हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हैं, फलदार वृक्ष लगा रखें हैं तथा अप्रार्थीगण का प्रार्थी की तन्हा खातेदारी की 0.67 हैक्टेयर कृषि भूमियों से कोई सम्बन्ध हक अधिकार नही हैं, अप्रार्थी संख्या 1 केवल 1/2 हक हिस्से की 0.03 हैक्ट. भूमि का सह हिस्सेदार हैं, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर सींव डोल व सीमा चिन्हो को खुर्द–बुर्द करने का कोई हक अधिकार कानूनन प्राप्त नही होने से प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से भी प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता हैं।

सुविधा का सन्तुलन :– प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण द्वारा उसके कब्जे काश्त की तन्हा खातेदारी की कृषि भूमियों के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी कर कृषि भूमि की सींव डोल फोड़कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सह हिस्से की भूमियों पर स्थित सीमा चिन्हो व पत्थरगढ़ी को उखाड़ने पर

उपखण्ड अधिकारी
मौजूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

आमादा हैं, ऐसे में अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने एवं सींव डोल, सीमा चिन्हो को खुर्द–बुर्द नही करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में सुविधा होगी तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को असुविधा उत्पन्न होगी जिससे पक्षकारो के मध्य मुकदमे बाजी नही होगी ऐसे में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में साबित होता हैं।

अपूर्तनीय क्षति :– प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण उसके स्वामित्व की तन्हा कब्जे काश्त की कृषि भूमि के उपयेाग– उपभोग में दखलन्दाजी कर रहे हैं तथा सींव डोल फोड़कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सह हिस्से की भूमि के सीमा चिन्हो को नष्ट करने के आशय से लड़ाई झगड़ा कर मारपीट पर उतारू रहते हैं, ऐसे में अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी जो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार वह काश्त करने से महरूम हो जावेगा व सींव डोल नष्ट, खुर्द–बुर्द करने पर मुकदमें बाजी में फंसना पडेगा। ऐसे में अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपनी पृथक खातेदारी भूमि से महरूम होना पडेगा तथा सींव डोल खुर्द–बुर्द कर पक्षकारों में फौजदारी मुकदमें हो जावेगें, ऐसे में प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में करना असम्भव होगा।

अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर ताफैसला वाद आदेश दिया जाता हैं कि अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम सामोद के खसरा नम्बर 1218/2, 1219/2, 1262/1, 1262/7, 1262/8, 1262/9 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.67 हैक्टेयर के प्रार्थी मालीराम के कब्जे काश्त करने में दखलन्दाजी नही करें, तथा खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1261, 1262/2, 1262/4 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.03 हैक्टेयर जिसका प्रार्थी सहखातेदार हैं, सीमा चिन्हो को नुकसान नही करें, सींव डोल नही फोड़े मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2017 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सामोद में न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner